

समक्ष अशोक भान और इकबाल सिंह न्यायमूर्ति

आयकर आयुक्त- आवेदक
बनाम

रामेश्वर प्रसाद-उत्तरदाता

1983 का संपदा शुल्क संदर्भ संख्या 1

12मई, 1997

संपदा शुल्क अधिनियम, 1953-धारा 34-अविभाजित परिवार के कर्ता की मृत्यु-दर उद्देश्यों के लिए कुल वंशजों का हिस्सा जो मृतक के हिस्से के साथ एकत्रित नहीं -ऐसे आदेश की वैधता।

अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए वंशजों के हिस्से को मृतक की अन्य संपत्ति के साथ जोड़ा जा सकता है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर पी साहनी और अधिवक्ता राजेश बिंदल

उत्तरदाता के लिए कोई नहीं

फैसला

अशोक भान, न्यायमूर्ति.

(1) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद 'अधिकरण' के रूप में संदर्भित) ने राय के लिए मामले के बयान के साथ कानून के निम्नलिखित प्रश्न को इस अदालत को भेजा है:-

"क्या तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि तीन वंशजों के हिस्से को दर उद्देश्यों के लिए मृतक के हिस्से के साथ एकत्रित नहीं किया जा सकता है।"

(2) निर्दिष्ट प्रश्न से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:—

1 फरवरी, 1970 को हरि किशन दास का निधन हो गया। ईश्वर प्रसाद, जो हिंदू अविभाजित परिवार के अगले कर्ता थे, ने 92,396 रुपये के मूल मूल्य की घोषणा करते हुए संपत्ति शुल्क का रिटर्न दाखिल किया, जिसे बाद में संशोधित कर 1,19,612 रुपये कर दिया गया। एस्टेट ड्यूटी के सहायक आयुक्त (इसके बाद 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में संदर्भित) ने एचयूएफ संपत्ति में मृतक का हिस्सा 1/4 होना निर्धारित किया और उसी की मात्रा 3,21,984 रुपये निर्धारित की। संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (इसके पश्चात्

'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 (1) (ग) का सहारा लेते हुए उन्होंने देय संपदा शुल्क निर्धारित करने के लिए दर प्रयोजनों के लिए तीन वंशजों के हिस्से का मूल्य जोड़ा। उत्तरदायी व्यक्ति का तर्क कि वंशानुगत वंशजों के हिस्से को दर उद्देश्यों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता था, स्वीकार नहीं किया गया था। उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दायर अपील को एस्टेट ड्यूटी के अपीलीय नियंत्रक द्वारा खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल में एक और अपील की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

(3) अधिकरण ने वी देवका अम्मल बनाम एस्टेट ड्यूटी के सहायक नियंत्रक, मद्रास में मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्धारित की अपील को स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि केवल वह संपत्ति जो पारित हो जाती है या जिसे पारित माना जाता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत एस्टेट ड्यूटी के लिए प्रभारित किया जा सकता है। धारा 34 (1) (सी) को एक मशीनरी अनुभाग माना गया था न कि एक चार्जिंग अनुभाग। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वंशानुगत वंशजों के हिस्से को दर उद्देश्यों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है। राजस्व की ओर से, हरि राम बनाम एस्टेट ड्यूटी-कम-इनकम टैक्स सर्कल, गुड़गांव और अन्य के सहायक नियंत्रक में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया गया था। न्यायाधिकरण ने हरि राम के मामले (उपर्युक्त) के निर्णय पर ध्यान दिया, लेकिन यह मत व्यक्त करते हुए इसका पालन नहीं किया गया कि उक्त निर्णय केवल धारा 34 (1) (ग) की संवैधानिक वैधता से संबंधित है और इसलिए, वर्तमान मामले में विवाद के गुणागुण पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

अधिनियम की धारा 34 (1) (सी), निम्नानुसार है —

“34. समाहरण।—(1) मृतक की मृत्यु पर हस्तांतरित होने वाली किसी भी संपत्ति पर देय संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से,

(a) और (b) XXXXXXXX

(ग) इस प्रकार पारित होने वाली संपत्ति के मामले में, जिसमें मिताक्षर, मरुमक्कट्टयम या अलियासंतन कानून द्वारा शासित हिंदू परिवार की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में सह-आंशिक हित शामिल है, मृतक सदस्य के सभी वंशजों की संयुक्त संपत्ति में भी हित एकत्र किए जाएंगे ताकि एक संपत्ति बनाई जा सके और संपत्ति शुल्क उस पर उसके मूल मूल्य के संबंध में लागू दर या दरों पर लगाया जाएगा।”

(4) हमने हरि राम के मामले (उपर्युक्त) को देखा है और पाया है कि न्यायाधिकरण ने यह देखने में गलती की है कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था। ट्रिब्यूनल ने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं करने में भी गलती की।

(5) हरि राम के मामले में (उपर्युक्त) एस्टेट ड्यूटी के सहायक नियंत्रक ने अधिनियम की धारा 34 (1) (c) के अनुसार दर प्रयोजनों के लिए मृतक साधु राम के वंशजों के 4/6 वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाबदेह व्यक्ति का 2,32,824.00 रुपये की राशि को उसकी संपत्ति के मूल मूल्य में जोड़कर मूल्यांकन किया। तैयार

किया गया आकलन साधु राम द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मूल मूल्य पर था, जिसमें उनके वंशजों और विधवा के हिस्से को शामिल नहीं किया गया था। वंशानुगत वंशजों के हिस्से को केवल दर उद्देश्यों के लिए माना जाता था। उस आदेश के खिलाफ अपील को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उत्तरदायी व्यक्ति ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण के समक्ष वी. देवकी अम्मल के मामले में निर्णय के मद्देनजर अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के अधिकारों को असंवैधानिक होने को चुनौती देने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने की मांग की गई थी, विद्वत अधिकरण ने अपील के उस आधार को इस कारण से स्वीकार नहीं किया कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इसके तहत गठित प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है। याचिका खारिज कर दी गई। न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्नों को निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में संदर्भित करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय, जवाबदेह व्यक्ति ने एक सिविल रिट याचिका दायर की इस आधार पर कि धारा 34 (1) (ग) की संवैधानिक वैधता को केवल रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, न कि उसी कारण के लिए संदर्भ कार्यवाहियों में जो अधिकरण द्वारा दिया गया था। यह न्यायालय बनाम देवकी अम्मल के मामले (उपर्युक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत था और अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के अधिकारों को बरकरार रखा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साधु राम के वंशजों के हिस्से के मूल्य को संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से मृतक की अन्य संपत्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

रिट याचिका को निम्नलिखित रूप में देखते हुए खारिज करने का आदेश दिया गया था:—

“ऊपर दिए गए कारणों से, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है जिसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस याचिका को खारिज करना इस आधार पर है कि निर्धारण अधिनियम की धारा 34 के अनुसार किया गया है, अर्थात् साधु राम के वंशजों के शेषों का मूल्य मृतक की अन्य संपत्ति के साथ केवल संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से एकत्रित किया गया था और उस पर कोई संपत्ति शुल्क नहीं लगाया गया है और संपत्ति शुल्क उस संपत्ति पर लगाया गया है जो साधु राम की मृत्यु पर पारित या पारित माना गया था। यदि निर्धारण का आदेश इस नियम के अनुसार नहीं है, तो इसे संशोधित करना होगा ताकि इसे इसके अनुरूप लाया जा सके।”

(6) उपर्युक्त टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वंशानुगत वंशजों के हिस्से को संपत्ति शुल्क की दर निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए मृतक की अन्य संपत्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि हरि राम (उपर्युक्त) के मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था।

(7) वी देवकी अम्मल (उपर्युक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील की गई थी, जिसका निर्णय किया गया है और निर्णय सहायक संपदा कर्तव्य नियंत्रक बनाम वी देवकी अम्मल में सूचित

किया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया था और इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1) (सी) के अधिकारों को बरकरार रखते हुए लिए गए विचार की पुष्टि की गई थी।

(8) तदनुसार, यह माना जाता है कि तीन वंशजों के हिस्से को दर उद्देश्यों के लिए मृतक के हिस्से के साथ जोड़ा जा सकता है।

(9) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है जो राजस्व के खिलाफ और निर्धारिती के पक्ष में है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा